

वनमण्डलाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु एन.एम.डी.सी.—सी.एम.डी.सी. लिमिटेड (एन.सी.एल) बैलाडीला ऑयरन डिपोजिट—4 छत्तीसगढ़ परियोजना के लिये वानिकी भूमि के गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित वनभूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु मरवाही एवं पेण्ड्रा परिक्षेत्र के निम्नानुसार कक्षों में स्थल चयन किया गया है :—

क्र.	परिक्षेत्र	परिसर	ग्राम	चयनित कक्ष	प्रस्तावित रकबा (हे.में)
1	मरवाही	ढपनीपानी	कटरा	2030	50.000
2	मरवाही	चुवाबहरा	चुवाबहरा	2063	30.000
3	मरवाही	साल्हेकोटा	साल्हेकोटा	1987	30.000
4	मरवाही	साल्हेकोटा	साल्हेकोटा	1989	30.000
5	मरवाही	बरगवां	बरगवां	1993	45.302
6	मरवाही	बरगवां	बरगवां	1996	20.000
7	मरवाही	सेमरदर्सी	भाठाटिकरा	2011	40.000
8	मरवाही	मेढुका	भस्कुरा	1951	50.000
9	पेण्ड्रा	कोटमी	कोटमी	2358	50.000
10	पेण्ड्रा	देवरीखुर्द	देवरीखुर्द	2315	45.000
11	पेण्ड्रा	अमारू	अमारू	2318	80.000
12	पेण्ड्रा	बसंतपुर	बसंतपुर	2353	45.000
13	पेण्ड्रा	पेण्ड्रा	पेण्ड्रा	2352	15.000
योग :—					530.302

अतः उक्त स्थलों का मौका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया है, यह स्थल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु तैयार किय गये परियोजना प्रतिवेदन में समस्त तथ्य एवं उपचारण के कार्यों का विवरण भी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप है।


वनमण्डलाधिकारी
मरवाही वनमण्डल पेण्ड्रा रोड